न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 143/2022

प्रार्थी

1. राजाराम पुत्र श्री डुंगाराम जाति घांची निवासी बिलाडीया दरवाजा के अन्दर सोजत सिटी जिला पाली राजस्थान
2. बंशीलाल पुत्र डुंगाराम जाति घांची निवासी बिलाडिया दरवाजा के अन्दर सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण

01. शिवलाल पुत्र सुकराराम
02 चेनाराम पुत्र सुकराराम
03 गणपत पुत्र सुकराराम
04 ढगलाई पत्नी सुकराराम जातियान घांची निवासी गण बिलाडीया दरवाजा के अन्दर, सोजत सिटी
05 कमलीदेवी पत्नी पप्पुराम पुत्री सुकराराम जाति घांची निवासी पावटी
06 का बास, सोजत सिटी राजस्थान
07 सीतादेवी पत्नी जुगाराम पुत्री सुकराराम जाति घांची निवासी बिलाडिया दरवाजा के अन्दर, सोजत सिटी
08 सोहनलाल पुत्र गमाराम
उरजाराम पुत्र गमाराम जातियान घांची निवासीगण बिलाडीया दरवाजा के बाहर, सोजत सिटी
09 ओमाराम पुत्र गमाराम जाति घांची निवासी बिलाडिया दरवाजा के अन्दर सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली
10 कन्हैयालाल पुत्र भंवराराम
11 रमेश पुत्र भंवराराम
12 बीबी देवी पत्नी भंवराराम जातियान घांची निवासीगण बिलाडिया गेट के बाहर, सोजत सिटी
13 बिचकी देवी पत्नी सुजाराम पुत्री भंवरा राम जातियान घांची निवासीगण जोधपुरिया गेट के बाहर सोजत सिटी जिला पाली

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थितिः—

01. श्री धर्मीचन्द देवासी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक 03/09/23

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की पुश्तैनी कब्जा सुदा मालिकाना हक की कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम पटवार हल्का सोजत में प्रार्थीगण के पिता डुंगाराम की खातेदारी सुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1098, 1114, 1116, 1139, 1165, 1170, 1195 रकबा 1.6500 हैक्टर आयी हुई है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वजों के समय से आज से करीब 55 वर्ष पूर्व मौखिक एवं मौके पर बंटवाडा होने वादग्रस्त कृषि भूमि में से खसरा नम्बर 1116, 1114, 1115, व 115 की कृषि भूमि प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 07 से 09 के हिस्से में रही तथा खसरा संख्या 1170, 1198 अप्रार्थी संख्या 1 से 6 तथा अप्रार्थी संख्या 10 से 13 के हिस्से में रही व खसरा नम्बर 1139

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

प्रार्थी संख्या 01 से 06 के हिस्से में रही । प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य माठे कायम की गई। प्रार्थीगण ने अपने हिस्से में आई कृषि भूमि में मेहन्दी की फसल बुवाई हो रखी है तथा तारबंदी कर फाटक भी लगा रखी है। प्रार्थीगण का नियमित रूप से शांति पूर्वक कब्जा एवं मालिकाना हक चला आ रहा है। प्राथीगण अपने पुर्वजों के अनुरूप कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थीगण का व्यवसाय मुम्बई होने से समय – समय पर प्रार्थीगण तथा उनकी तरफ से माता एवं बहिन भी कृषि भूमि की देखरेख करती है। लेकिन अप्रार्थीण की नियत खराब हो चुकी हैं। प्रार्थीगण की अन्य कृषि भूमि खसरा नम्बर 373 में दखल करने लगे तथा नाजायज रास्ता निकालने लगे तो प्रार्थीगण ने मना किया उसके पश्चात अप्रार्थीगण प्रार्थीगण से सख्त रंजिश रखना शुरू कर दिया। अप्रार्थीगण की सिखावट से दिनांक 25.07.2022 को प्रार्थी राजाराम के साथ मारपीट की तथा दिनांक 31.07.2022 को बंशीलाल के हक हिस्से में पत्थर रोपना शुरू कर दिया जबकि बंटवाडा हो चुका है। जिस पर प्रार्थी बंशीलाल ने दिनांक 02.08.2022 को थाने में रिपोर्ट दी। इस प्रकार बार बार अप्रार्थीगण के द्वारा माठ एवं तारबंदी को लेकर झगडा किया जाता है तथा प्रार्थीगण की कृषि भूमि में अप्रार्थीगण दखल अन्दाजी करते रहते है। प्रार्थीगण ने दिनांक 05.08.2022 को अप्रार्थीगण को सुझाव दिया कि हमारे पूर्वजों ने आपसी बंटवाडा कर दिया तथा उसी अनुसार 55 वर्षो से काबिज है। हम सभी तहसीलदार सोजत के समक्ष उपस्थित होकर राजस्व राजस्व रेकर्ड में बंटवाडा करवा देते है। लेकिन अप्रार्थीगण ने बंटवाडा करने से सख्त मना कर दिया। इस प्रकार अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल करने का किसी प्रकार का कोई कानूनी हक नही है तथा हमेशा की पेरशानी से निजात पाने हेतु वादग्रस्त सम्पति प्रार्थीगण एवं अप्राथीगण के मध्य पूर्वजों के बंटवाडा कराने हेतु तथा राजस्व रेकर्ड में बंटवाडा कराने हेतु तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में दखल करने से रोकने हेतु तारबंदी, फाटक एवं फसल को नुकसान पहुंचाने से रोकने हेतु तथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णिय क्षति तीनो ही बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा नम्बर 1116, 1114, 115 व 1195 की भूमि में प्रार्थीगण के उपयोग, उपभोग, कब्जा, काश्त, फसल, अवरोई, कटाई, निदाण में किसी प्रकार की बाधा अडचन पैदा नही करने, व फसल को नष्ट करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज तलब किया गया। अधिवक्ता श्री गजेन्द्रदवे ने अप्रार्थी संख्या 01 से 13 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने वाद बिल्कुल गलत, निराधार, व कपोल कल्पित आधारो पर पेश किया है। सोजत चक प्रथम के खसरा नम्बर 1098, 1114, 1116, 1139, 1165, 1170, 1195 कुल खसरा 07 कुल रकबा 1.6500 हैक्टर कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की अवश्य आई हुई स्थित है जो कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की पुश्तैनी कृषि भूमि है तथा प्रार्थीगण के पिता डुंगाराम व अप्रार्थीगण के पिता सुकराराम व भंवराराम व गमाराम का भी स्वर्गवास हो चुका है। लेकिन प्रार्थीगण का यह लिखना गलत है कि उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि का मौके पर मौखिक बंटवाडा हो चुका है बल्कि उपरोक्त कृषि भूमि आज भी मौके पर संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि है। प्रार्थीगण ने दादा गोराराम जी वंशावली का वंश वृक्ष प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थीगण ने जानबुझकर डूंगाराम की पत्नी विद्यादेवी व बहिन सेणीदेवी जीवित है जिनका भी प्रार्थीगण के हक हिस्से के बराबर हक हिस्सा निहित है यानि प्रार्थीगण का वादस्थ कृषि भूमि में 1/4 का 1/16– 1/16 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा का आता है। यह लिखना सही है कि अप्रार्थी संख्या 01 लगायंत 6 का 1/4 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 9 का 1/4 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 10 लगायत 13 का 1/4 हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का आता है लेकिन यह लिखना गलत है कि उपरोक्त कृषि भूमि का पूर्वजों के समय से बंटवाडा हो चुका है। प्रार्थीगण का यह लिखना गलत है कि 55 वर्ष पूर्व मौखिक एवं मौके

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

बंटवाडा होने से खसरा संख्या 1116, 1114, 1165 व 1195 की कृषि भूमि प्रार्थीगण की एवं अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 9 के हिस्से में रही जो कृषि भूमि प्रार्थीगण के हक हिस्से से अधिक कृषि भूमि है जो कतई संभव नही है। उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी व कब्जा की कृषि भूमि होने से प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच भू भाग पर हक अधिकार निहित है। प्रार्थीगण जानबुझकर अप्रार्थीगण के हक हिस्से की कृषि भूमि को हडप करने के उदेश्य से अपने हक हिस्से मे अप्रार्थीगण के हक हिस्से की 0.1200 हैक्टर कृषि भूमि को अतिरिक्त बताकर मौखिक बंटवाडे के तथ्य पेश किये है। खसरा नम्बर 373 का मौके पर मौखिक बंटवाडा होकर सभी अपने अपने हक हिस्से पर काविज काश्त चले आ रहे है तथा प्रत्येक खातेदार का अपने हक हिस्से अनुसार आम रास्ते से जुडी हुई भूमि का उपयोग एवं उपभोग कर रहे है। प्रार्थी द्वारा अंकित मारपीट करने व पत्थर रोपने के तथ्य गलत एवं निराधार है। प्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार से बंटवाडा करने का सुझाव नही दिया है। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार से फाटक व फसल को नुकशान नही पहुंचाया है। अप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार है। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। मौके पर काबिज काश्त एवं हिस्से अनुसार बेचान व अन्य हस्तान्तरण करने का कानूनन हक व अधिकार प्राप्त होने से प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में। अप्रार्थीगण एक काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र साधन कृषि भूमि है। यदि उसे रोका जाता है तो अप्रार्थीगण को अपूर्णीयक्षति होगी। अप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार होने व अपने हक हिस्से की कृषि भूमि का कब्जा काश्त होने से सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है। इस प्रकार जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस वकुलाय सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दोराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थीगण वादस्थ भूमि में आज से 55 वर्ष पहले हुए मौखिक बंटवाडा को नकराते हुए प्रार्थीगण के हक हिस्से में दखल अन्दाजी कर रहे है। प्रार्थीगण ने लाखो रूपये खर्च कर अपने हक हिस्से की भूमि को उपजाउ बनाया है। अप्रार्थीगण माठ को खुर्द बुर्द कर दखल अन्दाजी कर रहे है जिन्है वाद निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेघाज्ञा रोका जावे। जबाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि प्रार्थीगण द्वारा गलत रूप से मौके पर कब्जे की स्थिति बता रहे है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य 55 वष पहले किसी प्रकार का बंटवाडा नही हुआ है। प्रार्थीगण जानबुझकर अप्रार्थीगण के हक हिस्से की कृषि भूमि को हडप करने के उदेश्य से अपने हक हिस्से मे अप्रार्थीगण के हक हिस्से की 0.1200 हैक्टर कृषि भूमि को अतिरिक्त बताकर मौखिक बंटवाडे के तथ्य पेश किये है। वादस्थ भूमि संयुक्त खातेदार की अविभाजित कृषि भूमि है। अप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार है जिन्है अपने हक हिस्से की भूमि का बैचान करने का पूर्ण अधिकार है। रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र के समर्थन 1. 2022(1) डीएनजे (रेवेन्यु) पेज 402, 2. 2022(1)डीएनजे (रेवेन्यु) पेज 748 न्यायिक दृष्टान्त पेश किए।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र तथा फहरिस्त मय दस्तावेजात तथा न्यायिक दृटान्तो का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससमान अवलोकन किया। उक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण के परिपेक्ष्य में उचित चस्पा नही होते है। वादस्थ भूमि संयुक्त खातेदारी की एक अविभाजित कृषि भूमि है। पक्षकारों के हक अधिकार का विनिश्चिय दस्तावेजो के आधार पर तनकियात कायत होकर/साक्ष्य उभयपक्ष रेकर्ड पर वाद विवेचन/विश्लेषण कर किया जावेगा। वर्तमान परिपेक्ष्य में चूकि वादस्थ भूमि सयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है तथा जब तक विधिक बंटवाडा नही हो जाता तब तक

उपखण्ड अधिकारी,
सांजत (राज.)

प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा माना जाता है। लिहाजा हस्तगत प्रकरण में रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नही समझते है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 का पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 03/08/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

उपखण्ड अधिकारी (राज.) सोजत, जिला-पाली